



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-07072022-237142
CG-MH-E-07072022-237142

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2956]
No. 2956]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 6, 2022/आषाढ़ 15, 1944
NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 6, 2022/ASHADHA 15, 1944

रेल मंत्रालय,

(पश्चिम रेलवे)

अधिसूचना

मुंबई, 6 जुलाई, 2022

का.आ. 3106(अ).—केंद्रीय सरकार रेलवे (संशोधन) अधिनियम 2008, की धारा 2 के खंड 37 क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से, आदरज मोती विजापुर आमान परिवर्तन परियोजना (39.75 कि.मी.) को भूमि अधिग्रहण हेतु लोक प्रयोजन के लिए राष्ट्रीय अवसंरचना उपबंधित करने हेतु गुजरात राज्य में विशेष रेल परियोजना के रूप में अधिसूचित करती है।

[फा. सं. ई आफिस E-307329-1]

संजय गुप्ता, मुख्य परियोजना प्रबंधक (निर्माण)

**MINISTRY OF RAILWAYS,
(Western Railway)
NOTIFICATION**

Mumbai, the 6th July, 2022

S.O. 3106(E).—In exercise of the powers conferred by clause 37A of Section 2 of the Railways (Amendment) Act, 2008 the Central Government hereby notifies “Gauge Conversion of Adraj Moti Vijapur (39.75 K.m)” as a Special Railway Project for acquisition of land in the State of Gujarat, for providing national infrastructure for a public purpose with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette

[F. No. E-Office E-307329-1]

SANJAY GUPTA, Chief Project Manager, (Construction)